



The Chhattisgarh Jan Vishwas (Amendment of Provisions) (Second) Act, 2025

Act No. 1 of 2026

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 1 जनवरी 2026 — पौष 11, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 1 जनवरी 2026

क्र. 04/डी. 188/21-अ/प्रारू./छ.ग./26. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 27-12-2025 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चंद्र कुमार कश्यप, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 1 सन् 2026)

छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) अधिनियम, 2025

ईज ऑफ लिविंग एवं ईज ऑफ ड्रइंग बिजनेस के लिए विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देने हेतु एवं अपराधों के अपराधमुक्तकरण एवं तर्कसंगतिकरण के लिए कतिपय अधिनियमितियों में संशोधन करने हेतु अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) अधिनियम, 2025 कहलाएगा। संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होगा।
2. अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम, अनुसूची में उल्लिखित विस्तार तक एतद्वारा संशोधित किया जाता है। अधिनियमों में कतिपय संशोधन.
3. अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों के विभिन्न उपबंधों के अधीन उपबंधित जुर्माना एवं शास्तियों में, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात, यथास्थिति, निर्धारित जुर्माने या शास्ति की न्यूनतम राशि में दस प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। जुर्मानों एवं शास्तियों का पुनरीक्षण.
4. (1) इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों का प्रशासनिक कार्यक्षेत्र, पूर्ववत सम्बंधित विभागों के पास रहेगा। संबंधित विभाग, अपने प्रशासनिक क्षेत्र के भीतर लागू नियमों में आवश्यक संशोधन करेंगे एवं इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उचित दिशा निर्देश जारी करेंगे। इसके अतिरिक्त, संबंधित विभाग अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्णायक अधिकारियों, अपीलीय अधिकारियों एवं वसूली तंत्र को ऐसी रीति से एवं ऐसे निबंधनों एवं शर्तों के व्यावृत्तियाँ.

अध्यधीन रहते हुए नियुक्त करेगा, जैसा कि विहित किया जाए।

- (2) इस अधिनियम की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह इसके प्रवृत्त होने के पूर्व की संस्थित या सम्पन्न किसी विधिक कार्यवाही को अविधिमान्य करेगी एवं न ही उसे किसी अवैधानिक कार्यवाही को विधिमान्य करने वाला समझा जाएगा।

अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

क्रमांक	संशोधन
(1)	(2)
1.	<p>छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) में,</p> <p>(1) धारा 64 की उप-धारा (1) के खण्ड (ट) के नीचे उप-खण्ड (एक) के पैरा (क) में, शब्द "ऐसे कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से" एवं "दो" के स्थान पर, शब्द "शास्ति" एवं "दस" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।</p> <p>(2) धारा 64 की उप-धारा (1) के खण्ड (ट) के नीचे उप-खण्ड (एक) के पैरा (ख) में शब्द "ऐसे कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, तथा ऐसे जुर्माने से" एवं "दो" के स्थान पर, शब्द "शास्ति" एवं "दस" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।</p> <p>(3) धारा 64 की उप-धारा (1) के खण्ड (ट) के नीचे उप-खण्ड (दो) में, शब्द "ऐसे कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से" एवं "एक" के स्थान पर, शब्द "शास्ति" एवं "पाँच" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।</p> <p>(4) धारा 64 की उप-धारा (1) के खण्ड (ट) के नीचे उप-खण्ड (दो) में, शब्द "या दोनों से" का लोप किया जाए।</p> <p>(5) धारा 64 की उप-धारा (1) के खण्ड (ट) के नीचे उप-खण्ड (दो) में, शब्द "जुर्माना", जहाँ कहीं भी आया हो, के स्थान पर, शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।</p> <p>(6) धारा 64 की उप-धारा (2) में, निम्नानुसार परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात्, -</p> <p>"परन्तु आयुक्त, उल्लंघनकर्ता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, उप-धारा (1) के अनुसार, शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।"</p>

2.	छत्तीसगढ़ सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (क्रमांक 17 सन् 1952) में, धारा 7 में, शब्द "एक हजार", "अर्धदण्ड" एवं "100" के स्थान पर, शब्द "पाँच हजार", "शास्ति" एवं "पाँच सौ" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।
3.	छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ (कल्प) मेला अधिनियम, 2006 (क्रमांक 22 सन् 2006) में, धारा 10 में, शब्द "साधारण कारावास से जो 3 माह तक हो सकेगा, अथवा जुर्माने से जो रुपये एक हजार तक हो सकेगा अथवा दोनों से, और जहाँ अपराध जारी रहता है, अथवा बार-बार किया जाता है, तो और जुर्माने से जो प्रथम दोषसिद्धि के दिनांक से जिस दौरान अपराधी के द्वारा अपराध किया जाना प्रमाणित हुआ है, प्रतिदिन रु. 100/- (सौ रुपये मात्र) तक हो सकेगा, दंडित किया जाएगा" के स्थान पर, शब्द "प्रथम अपराध के लिए, दोषसिद्धि पर, पाँच हजार रुपए की शास्ति से, द्वितीय अपराध के लिए दस हजार रुपए की शास्ति से, तृतीय या उससे आगे के निरन्तर अपराध के लिए, साधारण कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह तक हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जाएगा" प्रतिस्थापित किया जाए।
4.	छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र अधिनियम, 1948 (क्रमांक 8 सन् 1948) में, धारा 5 में, शब्द "कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय" के स्थान पर, शब्द "पच्चीस हजार रुपये तक की शास्ति से दण्डनीय" प्रतिस्थापित किया जाए।
5.	छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 (क्रमांक 21 सन् 2018) में, (1) धारा 20 की उप-धारा (1) में, शब्द "से दण्डित किया जाएगा" एवं "जुर्माने" के स्थान पर, शब्द "का दायी होगा" एवं "शास्ति" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए। (2) धारा 20 की उप-धारा (1) के परंतुक में, शब्द "जुर्माने" के स्थान पर, शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए। (3) धारा 22 की उप-धारा (1) में, शब्द "से दण्डित किया जाएगा" एवं "जुर्माने" के स्थान पर, शब्द "का दायी होगा" एवं "शास्ति" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए। (4) धारा 22 की उप-धारा (2) में, शब्द "से दण्डित किया जाएगा" एवं "जुर्माने" के स्थान पर, शब्द "का दायी होगा" एवं "शास्ति" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए। (5) धारा 22 की उप-धारा (2) के परंतुक में, शब्द "जुर्माने" के स्थान पर, शब्द "शास्ति"

	प्रतिस्थापित किया जाए।
6.	<p>छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 (क्रमांक 36 सन् 1983) में,</p> <p>(1) धारा 31 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) में, शब्द "कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों" के स्थान पर, शब्द "दस हजार रुपये तक की शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।</p> <p>(2) धारा 31 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में, शब्द "एक" के स्थान पर, शब्द "बीस" प्रतिस्थापित किया जाए।</p> <p>(3) धारा 31 की उप-धारा (1) के परंतुक में, शब्द "एक सौ" के स्थान पर, शब्द "दस हजार" प्रतिस्थापित किया जाए।</p> <p>(4) धारा 31 की उप-धारा (2) में, शब्द "कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय" के स्थान पर, शब्द "प्रथम अपराध के लिए दस हजार रुपये की शास्ति से, एवं पश्चातवर्ती अपराध के लिए एक वर्ष तक की अवधि के कारावास से या पंद्रह हजार रुपये तक के जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय" प्रतिस्थापित किया जाए।</p>
7.	<p>छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) में,</p> <p>(1) धारा 55 की उप-धारा (3-क) में, शब्द "साधारण कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, और अपराध के चालू रहने की दशा में ऐसे और जुर्माने से जो प्रथम दोषसिद्धि की तारीख के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसको कि अपराध चालू रहता है, दो सौ पचास रुपये तक का हो सकेगा," के स्थान पर, शब्द "प्रथम अपराध की स्थिति में दस हजार रुपए तक की शास्ति से, तथा द्वितीय अपराध की स्थिति में बीस हजार रुपए तक की शास्ति तथा अपराध जारी रहने की स्थिति में छः माह तक के साधारण कारावास से या बीस हजार रुपए के न्यूनतम जुर्माने से या दोनों से, दण्डित किया जाएगा" प्रतिस्थापित किया जाए।</p> <p>(2) धारा 56 की उप-धारा (1) में, शब्द "जुर्माने", "एक हजार" एवं "बीस" के स्थान पर, शब्द "शास्ति", "पाँच हजार" एवं "एक सौ" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।</p> <p>(3) धारा 60 की उप-धारा (1) में, शब्द "जुर्माने" एवं "एक" के स्थान पर, शब्द "शास्ति" एवं "पाँच" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।</p> <p>(4) धारा 61-घ की उप-धारा (3) में, शब्द "सादा कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो कम से कम दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से,</p>

दण्डित किया जायेगा" के स्थान पर, शब्द "पचास हजार रुपए तक की शास्ति के उत्तरदायी होगा एवं अपराध जारी रहने की स्थिति में, उसे छः माह तक के साधारण कारावास या न्यूनतम पचास हजार रुपए के जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जाएगा" प्रतिस्थापित किया जाए।

- (5) धारा 61-घ की उप-धारा (5) में, शब्द "सादा कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो कम से कम एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा" के स्थान पर, शब्द "पाँच हजार रुपए की शास्ति के लिए उत्तरदायी होगा एवं अपराध जारी रहने की स्थिति में, उसे छः माह तक के साधारण कारावास या न्यूनतम पाँच हजार रुपए के जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जाएगा" प्रतिस्थापित किया जाए।
- (6) धारा 61-ड. में, शब्द "सादा कारावास से, जो छह मास तक हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा" के स्थान पर, शब्द "दस हजार रुपये की शास्ति के लिए उत्तरदायी होगा एवं दूसरे अपराध के मामले में, वह बीस हजार रुपये की शास्ति के लिए उत्तरदायी होगा एवं अपराध चालू रहने के मामले में उसे सादा कारावास से, जो छः माह तक हो सकेगा या बीस हजार रुपये के जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जाएगा" प्रतिस्थापित किया जाए।
- (7) धारा 95 की उप-धारा (5) में, शब्द "दो सौ पचास" एवं "पाँच" के स्थान पर, शब्द "दो हजार" एवं "एक सौ" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।
- (8) धारा 95 की उप-धारा (5) में, शब्द "जुर्माने", जहाँ कहीं भी आया हो, के स्थान पर, शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।
- (9) धारा 96 की उप-धारा (2) में, शब्द "दो सौ पचास", "दोषसिद्धि" एवं "पाँच" के स्थान पर, शब्द "दो हजार", "अपराध" एवं "एक सौ" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।
- (10) धारा 96 की उप-धारा (2) में, शब्द "जुर्माने", जहाँ कहीं भी आया हो, के स्थान पर, शब्द "शास्ति" प्रतिस्थापित किया जाए।
- (11) धारा 98 की उप-धारा (1) में, शब्द "दोषसिद्धि पर" विलोपित किया जाए।
- (12) धारा 98 की उप-धारा (1) में, शब्द "जुर्माने" एवं "पचास" के स्थान पर, शब्द "शास्ति" एवं "पाँच सौ" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।
- (13) धारा 98 की उप-धारा (2) में, शब्द एवं चिन्ह "दोषसिद्धि पर," विलोपित किया जाए।
- (14) धारा 98 की उप-धारा (2) में, शब्द "जुर्माने" एवं "एक" के स्थान पर, शब्द "शास्ति" एवं "पाँच" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।

	<p>(15) धारा 98 की उप-धारा (3) में, शब्द "जुर्माने" एवं "दो" के स्थान पर, शब्द "शास्ति" एवं "दस" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।</p> <p>(16) धारा 99 में, शब्द एवं चिन्ह "दोषसिद्धि पर," विलोपित किया जाए।</p> <p>(17) धारा 99 में, शब्द "जुर्माने" एवं "दो सौ पचास" के स्थान पर, शब्द "शास्ति" एवं "दो हजार" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।</p> <p>(18) धारा 102 में, शब्द एवं चिन्ह "दोषसिद्धि पर," विलोपित किया जाए।</p> <p>(19) धारा 102 में, शब्द "जुर्माने" एवं "दो सौ पचास" के स्थान पर, शब्द "शास्ति" एवं "दो हजार" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।</p> <p>(20) धारा 103 में, शब्द एवं चिन्ह "दोषसिद्धि पर," विलोपित किया जाए।</p> <p>(21) धारा 103 में, शब्द "जुर्माने" एवं "पचास" के स्थान पर, शब्द "शास्ति" एवं "दो सौ पचास" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।</p> <p>(22) धारा 104 में, शब्द एवं चिन्ह "दोषसिद्धि पर," विलोपित किया जाए।</p> <p>(23) धारा 104 में, शब्द "जुर्माने" एवं "दो सौ पचास" के स्थान पर, शब्द "शास्ति" एवं "दो हजार" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।</p> <p>(24) धारा 105 की उप-धारा (2) में, शब्द एवं चिन्ह "दोषसिद्धि पर," विलोपित किया जाए।</p> <p>(25) धारा 105 की उप-धारा (2) में, शब्द "जुर्माने" एवं "दो सौ पचास" के स्थान पर, शब्द "शास्ति" एवं "दो हजार" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।</p>
8.	<p>छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 (क्र. 3 सन् 1972) में,</p> <p>(1) धारा 77 में, शब्द "कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से," के स्थान पर, शब्द "प्रथम अपराध के लिए पाँच हजार रुपये की शास्ति से तथा अपराध चालू रहने की स्थिति में, तीन माह तक के साधारण कारावास या दस हजार रुपये के जुर्माने या दोनों से," प्रतिस्थापित किया जाए।</p> <p>(2) धारा 78 में, खण्ड (क) एवं (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् -</p> <p>"(क) प्रथम अपराध के लिए पाँच हजार रुपये की शास्ति;</p> <p>(ख) द्वितीय अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो</p>

	<p>सकेगी या दस हजार रुपए के जुर्माने, या दोनों से;</p> <p>(ग) चालू रहने वाले उल्लंघन की दशा में, शास्ति से, जो प्रथम उल्लंघन के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन चालू रहे, पाँच सौ रुपए तक का हो सकेगा।"</p>
9.	<p>छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम, 1931 (क्र. 3 सन् 1931) में,</p> <p>(1) धारा 75-एफ की उप-धारा (2) में, शब्द "6 माह तक के कारावास या एक हजार रुपये तक के अर्थदण्ड या दोनों से" के स्थान पर, शब्द "पच्चीस हजार रुपये तक की शास्ति से" प्रतिस्थापित किया जाए।</p> <p>(2) धारा 92 की उप-धारा (5) में, शब्द "250/- रु." एवं "रु. 10/-" के स्थान पर, शब्द "एक हजार रुपये" एवं "पचास रुपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।</p> <p>(3) धारा 92 की उप-धारा (5) में, शब्द "अर्थदण्ड", जहाँ कहीं भी आया हो, के स्थान पर, शब्द "शास्ति", प्रतिस्थापित किया जाए।</p> <p>(4) धारा 94 के खण्ड (एक) में, शब्द "(ए) से (एच)" एवं "बीस" के स्थान पर, शब्द "(ए) से (सी)" एवं "दो सौ" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।</p> <p>(5) धारा 94 के खण्ड (दो) में, शब्द "(आई) से (एल)", "सौ" एवं "कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा," के स्थान पर, शब्द "(डी) से (एल)", "हजार" एवं "पाँच हजार रुपये के जुर्माने से" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।</p> <p>(6) धारा 99 की उप-धारा (1) में, शब्द "दो सौ पचास" के स्थान पर, शब्द "एक हजार" प्रतिस्थापित किया जाए।</p>
10.	<p>छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 2006 (क्र. 20 सन् 2006) में,</p> <p>(1) धारा 39 के खण्ड (एक) में, शब्द "कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो एक हजार रुपये से कम का नहीं होगा, किंतु जो पाँच हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों में से और जहाँ अपराध चालू रहने वाला अपराध हो, वहाँ ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम अपराध के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके की दौरान अपराध जारी रहा हो, बीस रुपये से अधिक न हो, दण्डनीय" के स्थान पर, शब्द "प्रथम अपराध के लिए दस हजार रुपये की शास्ति से एवं द्वितीय अपराध के लिए छः माह तक के कारावास से या पच्चीस हजार रुपये के जुर्माने से या दोनों से एवं अपराध जारी रहने पर प्रतिदिन सौ रुपये से अनधिक की शास्ति से दण्डनीय होगा" प्रतिस्थापित किया जाए।</p> <p>(2) धारा 39 के खण्ड (दो) में, शब्द "जुर्माने", "पाँच सौ", "दो हजार" एवं "छह मास" के</p>

	स्थान पर, शब्द "शास्ति", "दो हजार", "दस हजार" एवं "एक मास" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।
11.	<p>छत्तीसगढ़ भू-जल (प्रबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 2022 (क्र. 18 सन् 2022) में,</p> <p>(1) धारा 19 की उप-धारा (1) में, शब्द "कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह से कम नहीं होगी, किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी अथवा जुर्माने से, जो रु. 5000/- से कम का नहीं होगा किन्तु जो रु. 10000/- तक का हो सकेगा", के स्थान पर, शब्द "शास्ति, जो पच्चीस हजार रुपये तक की हो सकेगी किन्तु दस हजार रुपये से कम की नहीं होगी", प्रतिस्थापित किया जाए।</p> <p>(2) धारा 19 की उप-धारा (1) के परंतुक में, शब्द "10000/-" एवं "15000/-" के स्थान पर, शब्द "पच्चीस हजार" एवं "पचास हजार" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।</p> <p>(3) धारा 19 की उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-</p> <p>"(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि खण्ड (क), खण्ड (ख), खण्ड (ग) अथवा खण्ड (घ) में वर्णित अपराध, किसी वाणिज्यिक उपयोगकर्ता, औद्योगिक उपयोगकर्ता, अधोसंरचना उपयोगकर्ता या किसी बहुउपयोगकर्ता द्वारा कारित किया गया है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन माह से कम का नहीं होगा, किन्तु जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, जुर्माने सहित, जो पच्चीस हजार रूपये से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पचास हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा:</p> <p>परंतु जब कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए दूसरी बार या पश्चात्पूर्ति दोषसिद्ध किया जाता है, तो वह ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि छः माह से कम नहीं होगी, किन्तु जो दो वर्ष तक का हो सकेगा तथा जुर्माने से, जो पचास हजार रूपये से कम का नहीं होगा किन्तु एक लाख रूपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।</p>
12.	<p>छत्तीसगढ़ प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, 1961 (क्र. 33 सन् 1961) में,</p> <p>(1) धारा 22 का लोप किया जाए।</p> <p>(2) धारा 23 का लोप किया जाए।</p>
13.	<p>छत्तीसगढ़ राज्य राजमार्ग अधिनियम, 2003 (क्र. 12 सन् 2003) में,</p> <p>(1) धारा 7 की उप-धारा (2) के खण्ड (छ) के उप-खण्ड (तीन) में, शब्द "अर्धदण्ड", "पाँच</p>

	<p>हजार" एवं "एक हजार" के स्थान पर, शब्द "शास्ति", "दस हजार" एवं "दो हजार" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।</p> <p>(2) धारा 53 में, शब्द "सजा होने पर" विलोपित किया जाए।</p> <p>(3) धारा 53 में, शब्द "अर्धदण्ड" एवं "दो" के स्थान पर, शब्द "शास्ति" एवं "दस" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।</p> <p>(4) धारा 54 में शब्द एवं चिन्ह "सजा होने पर," विलोपित किया जाए।</p> <p>(5) धारा 54 के खण्ड (क) में, शब्द "अर्धदण्ड, जो कि पाँच हजार रुपये तक का हो सकता है" के स्थान पर, शब्द "शास्ति से, जो पच्चीस हजार रुपये तक का हो सकेगा" प्रतिस्थापित किया जाए।</p> <p>(6) धारा 54 के खण्ड (ख) में, शब्द "अर्धदण्ड", "एक" एवं "सजा" के स्थान पर, शब्द "शास्ति", "पाँच" एवं "दण्ड" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।</p> <p>(7) धारा 55 के खण्ड (ख) में, शब्द एवं चिन्ह "सजा होने पर," विलोपित किया जाए।</p> <p>(8) धारा 55 के उप-खण्ड (एक) में, शब्द "अर्धदण्ड" एवं "पाँच" के स्थान पर, शब्द "शास्ति" एवं "पच्चीस" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।</p> <p>(9) धारा 55 के उप-खण्ड (दो) में, शब्द "अर्धदण्ड" एवं "दस" के स्थान पर, शब्द "शास्ति" एवं "पचास" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।</p> <p>(10) धारा 56 में, शब्द एवं चिन्ह "सजा होने पर," विलोपित किया जाए।</p> <p>(11) धारा 56 के खण्ड (क) में, शब्द "अर्धदण्ड" एवं "सौ" के स्थान पर, शब्द "शास्ति" एवं "एक हजार" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।</p> <p>(12) धारा 56 के खण्ड (ख) में, शब्द "अर्धदण्ड" एवं "सौ" के स्थान पर, शब्द "शास्ति" एवं "हजार" क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाए।</p>
14.	<p>छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइपलाइन (भूमि उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्र. 7 सन् 2004) में,</p> <p>धारा 14 में, शब्द "साधारण कारावास, जिसका विस्तार 6 माह तक हो सकता है या जुमनि से या दोनों से" के स्थान पर, शब्द "प्रथम अपराध के लिए दस हजार रुपये की शास्ति से, द्वितीय अपराध के मामले में, छः माह तक के साधारण कारावास या जुमनि या दोनों से" प्रतिस्थापित किया जाए।</p>

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 1 जनवरी 2026

क्र. 04/डी. 188/21-अ/प्रा.ग./छ.ग./26. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसार में छत्तीसगढ़ जनविश्वास (प्रावधानों का संशोधन) (द्वितीय) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 01 सन् 2026) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चंद्र कुमार कश्यप, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 1 of 2026)

**THE CHHATTISGARH JAN VISHWAS (AMENDMENT OF PROVISIONS) (SECOND)
ACT, 2025.**

An Act to amend certain enactments for decriminalizing and rationalizing offences and to further enhance trust-based governance for Ease of Living and Ease of Doing Business.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-sixth year of the Republic of India as follows: -

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Jan Vishwas (Amendment of Provisions) (Second) Act, 2025. **Short title and commencement.**

(2) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.
2. The enactments mentioned in the Schedule are hereby amended to the extent mentioned in the Schedule. **Amendment of certain enactments.**
3. The fines and penalties provided under various provisions in the enactments mentioned in the schedule shall be increased by ten per cent of the minimum amount of fine or penalty, as the case may be, prescribed thereof, after the expiry of every 3 years from the date of commencement of this Act. **Revision of Fines and Penalties.**
4. (1) The administrative jurisdiction for the laws specified in the schedule to this Act shall continue to vest in the respective departments as earlier. The concerned departments shall, within their administrative domain, make necessary amendments to the applicable rules and issue appropriate guidelines for the effective implementation of the provisions of this Act. Further, the relevant department shall appoint adjudicating officers, appellate authorities, and recovery mechanism for the purposes specified in the **Savings.**

schedule, in such manner and subject to such terms and conditions as may be prescribed.

(2) Nothing in this Act shall be construed to invalidate any legal proceedings instituted or concluded prior to its commencement, nor shall it be deemed to confer validity upon any illegal proceedings.

SCHEDULE
(See Section 2)

No.	Amendment
(1)	(2)
1.	<p>In the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005),</p> <p>(1) In para (a) of sub-clause (i) below clause (k) of sub-section (1) of Section 64, for the words "imprisonment which may extend to six months and a fine" and "two", the words "penalty" and "ten" shall be substituted, respectively.</p> <p>(2) In para (b) of sub-clause (i) below clause (k) of sub-section (1) of Section 64, for the words "imprisonment which may extend to six months and a fine" and "two", the words "penalty" and "ten" shall be substituted, respectively.</p> <p>(3) In sub-clause (ii) below clause (k) of sub-section (1) of Section 64, for the words "imprisonment which may extend to three months or a fine" and "one", the words "penalty", and "five" shall be substituted, respectively.</p> <p>(4) In sub-clause (ii) below clause (k) of sub-section (1) of Section 64, for the word "or both" shall be omitted.</p> <p>(5) In sub-clause (ii) below clause (k) of sub-section (1) of Section 64, for the word "fine", wherever it occurs, the word "penalty" shall be substituted.</p> <p>(6) In sub-section (2) of Section 64, the following proviso shall be added, namely,-</p> <p>"Provided that the Commisioner may imposed penalty, as per sub-section (1), after giving the contravener a reasonable opportunity of hearing."</p>
2.	<p>In the Chhattisgarh Cinemas (Regulation) Act, 1952 (No. 17 of 1952),</p> <p>In Section 7, for the words "one thousand", "fine" and "one hundred", the words "five thousand", "penalty" and "five hundred" shall be substituted, respectively.</p>

No.	Amendment
(1)	(2)
3.	<p>In the Chhattisgarh Rajim Kumbh Mela Act, 2006 (No. 22 of 2006),</p> <p>In Section 10, for the words "shall be punished on conviction with simple imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both and where the offence is a continuing or recurring one with a further fine which may extend to Rs. 100 (Rs. hundred only) for every day after the date of the first conviction during which the offender is proved to have persisted in such offence", the words "for the first offence, shall be punishable with a penalty of Five thousand rupees and for second offence, to a penalty of Ten thousand rupees and for third or further continuous offence, to simple imprisonment for a term which may extend to three months, or to a fine which may extend to Ten thousand rupees, or both" shall be substituted.</p>
4.	<p>In the Chhattisgarh Fisheries Act, 1948 (No. 8 of 1948),</p> <p>In Section 5, for the words "on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both" the words "be liable for penalty which may extend to twenty-five thousand rupees" shall be substituted.</p>
5.	<p>In the Chhattisgarh Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2017 (No. 21 of 2018),</p> <p>(1) In sub-section (1) of Section 20, for the words "punishable with fine" and "fine", the words "liable for penalty" and "penalty" shall be substituted, respectively.</p> <p>(2) In proviso of sub-section (1) of Section 20, for the word "fine", the word "penalty" shall be substituted.</p> <p>(3) In sub-section (1) of Section 22, for the words "punishable with fine", the words "liable for penalty" shall be substituted.</p> <p>(4) In sub-section (2) of Section 22, for the words "punishable with fine" and "fine", the words "liable for penalty" and "penalty" shall be substituted, respectively.</p> <p>(5) In proviso of sub-section (2) of Section 22, for the word "fine", the word "penalty" shall be substituted.</p>

No.	Amendment
(1)	(2)
6.	<p>In the Chhattisgarh Shram Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 36 of 1983),</p> <p>(1) In clause (a) of sub-section (1) of Section 31, for the words, "imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both", the words "penalty which may extend to ten thousand rupees," shall be substituted.</p> <p>(2) In clause (b) of sub-section (1) of Section 31, for the word "one", the word "twenty" shall be substituted.</p> <p>(3) In proviso of sub-section (1) of Section 31, for the word "one hundred", the word "ten thousand" shall be substituted.</p> <p>(4) In sub-section (2) of Section 31, for the words "punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both", the words "liable for a penalty of ten thousand rupees for the first offence and, for the subsequent offence imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to fifteen thousand rupees, or with both" shall be substituted.</p>
7.	<p>In the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994),</p> <p>(1) In sub-section (3-A) of Section 55, for the words "punished with simple imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to two thousand rupees or with both, and in case of continuing offence with further fine which may extend to two hundred and fifty rupees for every day during which the offence continued after the date of first conviction", the words "liable for penalty which may extend to ten thousand rupees in case of first offence and in case of second offence, liable for penalty which may extend to twenty thousand rupees and in case of continuing offence, he shall be punished with simple imprisonment which may extend to six months, or with minimum fine of twenty thousand rupees, or with both" shall be substituted.</p> <p>(2) In sub-section (1) of Section 56, for the words, "fine", "one thousand" and "twenty", the words "penalty"; "five thousand" and "one hundred" shall be substituted, respectively.</p> <p>(3) In sub-section (1) of Section 60, for the words "fine" and "one", the words "penalty" and "five" shall be substituted, respectively.</p> <p>(4) In sub-section (3) of Section 61-D, for the words "punished with simple</p>

No.	Amendment
(1)	(2)
	<p>imprisonment which may extend to six months or with a minimum fine of ten thousand rupees or with both", the words "liable for penalty which may extend to fifty thousand rupees and in case of continuing offence, he shall be punished with simple imprisonment which may extend to six months or with a minimum fine of fifty thousand rupees or with both" shall be substituted.</p> <p>(5) In sub-section (5) of Section 61-D, for the words "punished with simple imprisonment which may extend to six months or with a minimum fine of one thousand rupees or with both", the words "liable for a penalty of five thousand rupees and in case of continuing offence, he shall be punished with simple imprisonment which may extend to six months or with a minimum fine of five thousand rupees or with both." shall be substituted.</p> <p>(6) In Section 61-E, for the words "simple imprisonment which may extend to six months or with fine or with both", the words "liable for penalty of ten thousand rupees and in case of second offence, he shall be liable for penalty of twenty thousand rupees, further in case of continuing offence he shall be punished with simple imprisonment which may extend to six months or with fine of twenty thousand rupees or with both" shall be substituted.</p> <p>(7) In sub-section (5) of Section 95, for the words "two hundred fifty", "five" and "conviction", the words "two thousand", "one hundred" and "breach" shall be substituted, respectively.</p> <p>(8) In sub-section (5) of Section 95, for the word "fine", wherever it occurs, the word "penalty" shall be substituted.</p> <p>(9) In sub-section (2) of Section 96, for the words "two hundred fifty", "conviction" and "five", the words "two thousand", "offence" and "one hundred" and shall be substituted, respectively.</p> <p>(10) In sub-section (2) of Section 96, for the word "fine", wherever it occurs, the word "penalty" shall be substituted.</p> <p>(11) In sub-section (1) of Section 98, the words "on conviction" shall be omitted.</p> <p>(12) In sub-section (1) of Section 98, for the words "fine" and "fifty", the words "penalty" and "five hundred" shall be substituted, respectively.</p> <p>(13) In sub-section (2) of Section 98, the words and symbols " , on conviction,"</p>

No.	Amendment
(1)	(2)
	<p>shall be omitted.</p> <p>(14) In sub-section (2) of Section 98, for the words "fine" and "one", the words "penalty" and "five" shall be substituted, respectively.</p> <p>(15) In sub-section (3) of Section 98, for the words "fine" and "two", the words "penalty" and "ten" shall be substituted, respectively.</p> <p>(16) In Section 99, the words and symbols " , on conviction," shall be omitted.</p> <p>(17) In Section 99, for the words "fine" and "two hundred fifty", the words "penalty" and "two thousand" shall be substituted, respectively.</p> <p>(18) In Section 102, the words "on conviction" shall be omitted.</p> <p>(19) In Section 102, for the words "fine" and "two hundred fifty", the words "penalty" and "two thousand" shall be substituted respectively.</p> <p>(20) In Section 103, the words "on conviction" shall be omitted.</p> <p>(21) In Section 103, for the words "fine" and "fifty", the words "penalty" and "two hundred fifty" shall be substituted respectively.</p> <p>(22) In Section 104, the words and symbols " , on conviction" shall be omitted.</p> <p>(23) In Section 104, for the words "fine" and "two hundred fifty", the words "penalty" and "two thousand" shall be substituted, respectively.</p> <p>(24) In sub-section (2) of Section 105, the words and symbol "on conviction," shall be omitted.</p> <p>(25) In sub-section (2) of Section 105, for the words "fine" and "two hundred fifty", the words "penalty" and "two thousand" shall be substituted, respectively.</p>
8.	<p>In the Chhattisgarh Griha Nirman Mandal Adhiniyam, 1972 (No. 3 of 1972),</p> <p>(1) In Section 77, for the words "imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both", the words "penalty of five thousand rupees for the first offence, in the case of continuing offence, with simple imprisonment which may extend to three months or with fine of ten thousand rupees or with both" shall be substituted.</p> <p>(2) In Section 78, for the clauses (a) and (b), the following clauses shall be</p>

No.	Amendment
(1)	(2)
	<p>substituted, namely –</p> <p>“(a) for the first offence with penalty of five thousand rupees,</p> <p>(b) for second offence with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine of ten thousand rupees, or with both;</p> <p>(c) in case of a continuing contravention, with fine, which may extend to five hundred rupees for each day after the first contravention, during which the contravention continues.”</p>
9.	<p>In the Chhattisgarh Irrigation Act, 1931 (No. 3 of 1931),</p> <p>(1) In sub-section (2) of Section 75-F, for the words “imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.” the words “penalty which may extend to twenty-five thousand rupees” shall be substituted.</p> <p>(2) In sub-section (5) of Section 92, for the words “two hundred and fifty” and “ten”, the words “one thousand” and “fifty” shall be substituted, respectively.</p> <p>(3) In sub-section (5) of Section 92, for the word “fine”, wherever it occurs, the word “penalty” shall be substituted.</p> <p>(4) In clause (i) of Section 94, for the words “(a) to (h)” and “twenty”, the words “(a) to (c)” and “two hundred” shall be substituted, respectively.</p> <p>(5) In clause (ii) of Section 94, for the words “(i) to (l)”, “hundred”, and “imprisonment which may extend to one month”, the words “(d) to (l)”, “thousand”, and “penalty of five thousand rupees” shall be substituted, respectively.</p> <p>(6) In sub-section (1) of Section 99, for the words “two hundred and fifty”, the words “one thousand” shall be substituted.</p>
10.	<p>In the Chhattisgarh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 2006 (No. 20 of 2006),</p> <p>(1) In the clause (i) of Section 39, for the words “imprisonment which may extend to two years, or with fine which shall not be less than one thousand Rupees but which may extend to five thousand Rupees or with both; and when the offence is a continuing one with an additional fine not exceeding twenty rupees for every day”, the words “penalty of Ten Thousand rupees</p>

No.	Amendment
(1)	(2)
	<p>for the first offence, and for the second offence with imprisonment which may extend to six months, or with fine of Twenty-five thousand rupees or with both; and for continuing offence with an additional fine not exceeding hundred rupees for every day" shall be substituted, respectively.</p> <p>(2) In the clause (ii) of Section 39, for the words "fine", "five hundred", "two thousand" and "six months", the words "penalty", "Two thousand", "ten thousand" and "one month" shall be substituted, respectively.</p>
11.	<p>In the Chhattisgarh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2022 (No. 18 of 2022),</p> <p>(1) In sub-section (1) of Section 19, for the words "imprisonment for a term not less than three months which may extend to one year and fine which shall not be less than five thousand rupees but which may extend to Ten thousand rupees", the words "penalty which may extend to Twenty-five thousand rupees but not less than Ten thousand rupees" shall be substituted.</p> <p>(2) In the proviso of sub-section (1) of Section 19, for the words "Ten thousand rupees" and "fifteen thousand rupees", the words "Twenty-five thousand rupees" and "Fifty thousand rupees" shall be substituted, respectively.</p> <p>(3) For sub-section (2) of Section 19, the following shall be substituted, namely:-</p> <p>"(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), if the offence described in clause (a), clause (b), clause (c) or clause (d) is committed by any commercial user, industrial user, infrastructural user or any bulk user he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to one year with fine which shall not be less than twenty five thousand rupees but may extend to fifty thousand rupees:</p> <p>Provided that when any person is convicted under this Section for an offence for second or subsequent time, he shall be punishable for every such offence with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to two years and with fine which shall not be less than fifty thousand rupees but may extend to one lakh rupees."</p>

No.	Amendment
(1)	(2)
12.	<p>In the Chhattisgarh Primary Education Act, 1961 (No. 33 of 1961),</p> <p>(1) Section 22 shall be omitted.</p> <p>(2) Section 23 shall be omitted.</p>
13.	<p>In the Chhattisgarh Rajmarg Act, 2003 (No. 12 of 2003),</p> <p>(1) In sub-clause (iii) of clause (g) of sub-section (2) of Section 7, for the words "fine", "5000" and "1000", the word "penalty", "ten thousand rupees" and "two thousand rupees" shall be substituted, respectively.</p> <p>(2) In Section 53, the words and symbols " , on conviction," shall be omitted.</p> <p>(3) In Section 53, for the words "fine" and "two", the words "penalty" and "ten" shall be substituted, respectively.</p> <p>(4) In Section 54, the words "on conviction" shall be omitted.</p> <p>(5) In clause (a) of Section 54, for the words "with fine which may extend to five thousand rupees", the words "with penalty which may extend to twenty-five thousand rupees" shall be substituted.</p> <p>(6) In clause (b) of Section 54, for the words "fine", "one" and "conviction", the words "penalty", "five" and "punishment" shall be substituted, respectively.</p> <p>(7) In clause (b) of Section 55, the words and symbol "on conviction," shall be omitted.</p> <p>(8) In sub-clause (i) of Section 55, for the words "fine" and "five", the words "penalty" and "Twenty-five" shall be substituted, respectively.</p> <p>(9) In sub-clause (ii) of Section 55, for the words "fine" and "ten", the words "penalty" and "fifty" shall be substituted, respectively.</p> <p>(10) In Section 56, the words and symbols " , on conviction," shall be omitted.</p> <p>(11) In clause (a) of Section 56, for the words "fine" and "hundred", the words "penalty" and "thousand" shall be substituted, respectively.</p> <p>(12) In clause (b) of Section 56, for the words "fine" and "hundred", the words "penalty" and "thousand" shall be substituted, respectively.</p>
14.	<p>In the Chhattisgarh Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 2004 (No. 7 of 2004),</p> <p>In Section 14, for the words "punishable with simple imprisonment which may extend to six months or with fine or with both", the words "liable for penalty of Ten thousand rupees for the first offence, in the case of second offence, punishable with simple imprisonment which may extend to six months or with fine or with both" shall be substituted.</p>